

ORDER - SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Case No. 53 of 2017

Signature of Parties of pleaders where Necessary

Order or Proceeding of Presiding Officer

Date of order of proceeding

आज आरक्षी केन्द्र आरक्षी के उपनिरीक्षक / सहायक उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक द्वारा थाना प्रमारी की ओर से अपराध का अंतर्गत धारा 341/1 अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री उप0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण

बुलतान डी. कल्लू देवी डम - 22

निवासी / निवासीगण देवी वार्ड नं. 4 ओएड

थाना ओएड

जिला बिहार

राज्य

मं० प्र०

उपरिस्थित।

अभियुक्त / अभियुक्तगण

की ओर

से

अधिवक्ता

श्री

द्वारा

मेमोरेण्डम / वकालतनामा

प्रस्तुत

किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा०द०स० / 341/1 अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द०प्र०स० के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द०प्र०स० की धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्रति निःशुल्क दिलायी जाये।

चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से 7000/- (सात हजार रुपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त किया जाये।

निशान



बुलतान

Date of
order or
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

चूँकि मामला सक्षिप्त विचारणीय है। अतः सक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341 / 1 भा0द0स0 / अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियाँ विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिदाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति रूपये राजसात किये जाये। संपत्ति 9 पाव देशी मसाले मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च

निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 500/- रूपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 6890 रसीद क0 65 दी गई।

अभियुक्त / अभियुक्तगण को राजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

Judicial Magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

A.K. Gohad

Judicial Magistrate first class